न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास

पीठासीन अधिकारी –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

1. श्रवण
2. रामधन
3. रामजीलाल
4. महादेव
   पुत्रान स्व.बाल्या
5. नानगा पुत्र पून्या
   समस्त जाति माली निवासी
   ग्राम जटवाडा, तहसील
   बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. रामसहाय
2. गोपाल
3. गंगाधर
4. ईशर
5. छोटू
   पुत्रान रूघनाथ
   समस्त जाति माली निवासी ग्राम जटवाडा
   तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. राज सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
7. उप पंजीयक बस्सी।
8. ग्राम पंचायत जटवाडा जरिये सरपंच ग्राम
   जटवाडा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः— 14.05.2018

प्रार्थना पत्रः 311/08

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जटवाडा में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकीलप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 165/1 रकबा 12 बिस्वा, 165/2 रकबा 9 बिस्वा, 165/3 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 165/4 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 207/1 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 207/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 244 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 31/10 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर का व विवादित हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा स्थित ग्राम चक पोतली तहसील बस्सी जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे। वकीलप्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं वकीलप्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुनने एंव उपस्थित मौतबिरान से उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित बैंच के निर्णयानुसार वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 165/1 रकबा 12 बिस्वा, 165/2 रकबा 9 बिस्वा, 165/3 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 165/4 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 207/1 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 207/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 244 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 31/10 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर का व विवादित हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ग्राम चक पोतली तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को पांबद किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2007 को जारी स्थगन आदेश की पालना में उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं करे एवं वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

आज दिनांक 14.05.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जटवाडा में मजमें आम में सुनाया गया।

14.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर